

UNIT-1-

लिंग का अर्थ


लिंग को वैज्ञानिकों द्वारा यह कहकर परिभाषित किया है, कि जिससे किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं।

मनुष्य दो रूपों में जन्म लेता है - स्त्री और पुरुष, जिसे प्रारम्भिक अवस्था में बालिका तथा बालक कहा जाता है। बालक तथा बालिकाओं के शारीरिक संरचना में ही विभेद नहीं होता है अर्थात् दोनों की रीतियाँ, अभिवृत्तियाँ तथा क्रियाकलापों में भी भिन्नता पायी जाती है।

लिंग के निर्धारण में लैंगिक मापदण्डों का प्रयोग किया जाता है - जो निम्न प्रकार हैं -

पुरुष (गुणसूत्र)

महिला (गुणसूत्र)



(बालिका)

(बालक)

जेविक रूप में लिंग को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि जब स्त्री तथा पुरुष के XX गुणसूत्र मिलते हैं तब बालिका और जब स्त्री पुरुष के XY गुणसूत्र मिलते हैं तो बालक का निर्माण होता है।

लिंगीय विभेद के कारण :-

- 1) माध्यमों एवं परंपराओं
- 2) अशिक्षा
- 3) सरकारी उदासीनता
- 4) सामाजिक कुप्रथाएँ
- 5) संकीर्ण विचारधारा
- 6) जागरूकता का अभाव
- 7) अधिक तंगी
- 8) दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली
- 9) मनोवैज्ञानिक कारण

लिंगीय विभेदों की समाप्ति के उपाय:-

- 1 जन-शिक्षा का प्रसार
- 2 जागरूकता लाना
- 3 कूटाहत्या रोकने हेतु कठोर प्रवधान तथा पालन
- 4 बालिका शिक्षा का प्रसार
- 5 शिक्षा प्रणाली में सुधार
- 6 बालिकाओं हेतु प्रथक व्यावसायिक विद्यालयों की व्यवस्था।
- 7 सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक
- 8 सामाजिक परंपराओं तथा मान्यताओं पर कुठाराघात
- 9 सुरक्षात्मक वातावरण
- 10 प्रशासनिक प्रयत्न
- 11 सर्वेधानिक उपचार

23/06/2021

प्राचार्य

पीस मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेवपुर, ताखा, बलिया